

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी (म0प्र0)

//कार्य विभाजन आदेश//

क्रमांक : 01 / पांच-1-1/2002

कटनी, दिनांक : 24.06.2025

मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 21(4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, **जितेंद्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी**, पूर्व में जारी किये गये कार्य विभाजन सम्बंधी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुये निम्नानुसार नवीन कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ :-

स. क.	न्यायालय का नाम	न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले मामलों का श्रवण क्षेत्राधिकार
1	2	4
1	सत्र न्यायाधीश कटनी	दांडिक क्षेत्राधिकार :- 1- सम्पूर्ण कटनी जिले से उद्भूत, सत्र न्यायाधीश के सुनवाई योग्य सभी दांडिक मामले एवं सत्र प्रकरण (एस.सी.एस.टी.एक्ट, एन.डी.पी.एस.एक्ट, पी.सी.एक्ट, पॉक्सो एक्ट तथा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष मामलों को छोड़कर) 2- सी.जे.एम. कटनी तथा कटनी जिले में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समस्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली सभी दांडिक अपीलें एवं दांडिक रिवीजन 3- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होने वाले आवेदन 4- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 448 एवं धारा 449 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण अंतरण सम्बंधी समस्त आवेदन 5- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं धारा 483 के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश के सुनवाई योग्य सभी जमानत आवेदन नोट :- विशेष न्यायालयों के समक्ष पेश होने वाले तथा अपर सत्र न्यायाधीश लिंक कोर्ट विजयराघवगढ़ के समक्ष प्रत्येक माह की 21 तारीख से 30 तारीख के दौरान प्रस्तुत होने वाले उपरोक्त श्रेणी के जमानत आवेदनों को छोड़कर। 6- सत्र न्यायाधीश कटनी के सुनवाई योग्य वे सभी मामले जिनका उल्लेख इस कार्यविभाजन आदेश में नहीं हो सका है।
1 (ब)	प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी	सिविल क्षेत्राधिकार :- 1- तहसील कटनी, बरही एवं ढीमरखेड़ा में कार्यरत समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली सभी नियमित एवं विविध सिविल अपीलें 2- आरक्षी केंद्र कोतवाली एवं स्लीमनाबाद के अंतर्गत होने वाली मोटर दुर्घटनाओं से सम्बंधित, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी क्लेम प्रकरण

जिला न्यायाधीश 24

		4- धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल प्रकरणों के अंतरण सम्बंधी समस्त आवेदन पत्र 5- विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 20 ख के अंतर्गत अधोसंरचना (Infrastructure) परियोजनाओं से सम्बंधित संविदाओं के बारे में पेश होने वाले दावे 6- जिला न्यायाधीश कटनी के सुनवाई योग्य वे सभी सिविल मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन आदेश में नहीं हो सका है
2 (अ)	विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) कटनी	दांडिक क्षेत्राधिकार :- 1- सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाण्डिक प्रकरण 2- सम्पूर्ण कटनी जिले से उत्पन्न वे सभी दाण्डिक मामले, जमानत आवेदन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां जिनमें अन्य धाराओं के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत धारार्ये अधिरोपित की गई हैं (पॉक्सो एक्ट की धाराओं के मामलों को छोड़कर)
2 (ब)	प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल क्षेत्राधिकार :- 1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
3 (अ)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी सह विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) कटनी	दांडिक क्षेत्राधिकार :- 1- सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाण्डिक प्रकरण 2- सम्पूर्ण कटनी जिले से उत्पन्न वे सभी दाण्डिक मामले, जमानत आवेदन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां जिनमें अन्य धाराओं के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत खण्ड क तथा खण्ड ख में वर्णित मामलों के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा सुनवाई योग्य धारार्ये अधिरोपित की गई है।
3 (ब)	प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी	सिविल क्षेत्राधिकार :- 1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
4 (अ)	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटनी सह विशेष न्यायाधीश एन. डी.पी.एस.एक्ट	दांडिक क्षेत्राधिकार :- 1- सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाण्डिक प्रकरण

		2- सम्पूर्ण कटनी जिले से उद्भूत तथा सत्र न्यायाधीश के विचारण योग्य वे सभी दाण्डिक मामले, जमानत आवेदन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां जिनमें अन्य धाराओं के साथ साथ स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (एन.डी.पी.एस.एक्ट) के अंतर्गत धारायें अधिरोपित की गई हैं 3- अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 एवं उससे सम्बंधित अन्य दाण्डिक मामलों की सुनवाई हेतु नामित न्यायालय 4- सम्पूर्ण कटनी जिले से उद्भूत नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऐजेंसी एक्ट के अंतर्गत अन्वेषित मामलों की सुनवाई हेतु नामित विशेष न्यायालय
4 (ब)	द्वितीय जिला न्यायाधीश कटनी	सिविल क्षेत्राधिकार :- 1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- आरक्षी केंद्र उमरियापान एवं रंगनाथनगर के अंतर्गत होने वाली मोटर दुर्घटनाओं से सम्बंधित, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी क्लेम प्रकरण
5 (अ)	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटनी	दांडिक क्षेत्राधिकार :- 1- सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाण्डिक प्रकरण
5 (ब)	तृतीय जिला न्यायाधीश कटनी	सिविल क्षेत्राधिकार :- 1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च में तहसील कटनी, बरही, रीठी, बड़वारा, बहोरीबंद से उत्पन्न होने वाले एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण 3- आरक्षी केंद्र बड़वारा के अंतर्गत होने वाली मोटर दुर्घटनाओं से सम्बंधित, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी क्लेम प्रकरण 4- माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च में प्रस्तुत होने वाले जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य, आर्बीट्रेशन एवं काउंसिलियेशन अधिनियम 1996 के अंतर्गत समस्त निष्पादन एवं अन्य प्रकरण 5- तहसील ठीमरखेड़ा, बहोरीबंद एवं बरही से उद्भूत कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 7 में वर्णित, जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य पारिवारिक विवाद सम्बंधी सभी सिविल मामले

(4)

6 (अ)	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश कटनी	दांडिक क्षेत्राधिकार :- 1- सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाण्डिक प्रकरण
6 (ब)	चतुर्थ जिला न्यायाधीश कटनी	सिविल क्षेत्राधिकार :- 1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह अप्रैल, मई एवं जून में तहसील कटनी, बरही, ढीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, बहोरीबंद से उत्पन्न होने वाले एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण 3- आरक्षी केंद्र कुठला, एन0के0जे0 एवं कटनी जिले के बाहर के आरक्षी केंद्रों अंतर्गत होने वाली मोटर दुर्घटनाओं से सम्बंधित, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी क्लेम प्रकरण 4- माह अप्रैल, मई एवं जून में प्रस्तुत होने वाले जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य, आर्बीट्रेशन एवं काउंसिलियेशन अधिनियम 1996 के अंतर्गत निष्पादन एवं अन्य प्रकरण 5- म.प्र. पंचायत अधिनियम 1952 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य सिविल प्रकरण 6- म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली समस्त अपीलें, आवेदन एवं चुनाव याचिकायें 7- तहसील रीठी एवं बड़वारा से उद्भूत कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 7 में वर्णित, जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य पारिवारिक विवाद सम्बंधी सभी सिविल मामले
7 (अ)	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी	दांडिक क्षेत्राधिकार :-
7 (ब)	पंचम जिला न्यायाधीश कटनी	सिविल क्षेत्राधिकार :-
8 (अ)	षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश	दांडिक क्षेत्राधिकार :-
8 (ब)	षष्ठम जिला न्यायाधीश कटनी	सिविल क्षेत्राधिकार :-
9 (अ)	सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी	दांडिक क्षेत्राधिकार :- 1- सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाण्डिक प्रकरण

9 (ब)	सप्तम जिला न्यायाधीश कटनी	सिविल क्षेत्राधिकार :- 1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में तहसील कटनी, बरही,ढीमरखेड़ा, रीठी, बडवारा, बहोरीबंद से उत्पन्न होने वाले एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण 3- आरक्षी केंद्र माधवनगर एवं रीठी के अंतर्गत होने वाली मोटर दुर्घटनाओं से सम्बंधित, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी क्लेम प्रकरण 4- माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में प्रस्तुत होने वाले तथा जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य, आर्बीट्रेशन एवं काउंसिलियेशन अधिनियम 1996 के अंतर्गत समस्त निष्पादन एवं अन्य प्रकरण 5- भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 सम्बंधी प्रकरण 6- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य समस्त सिविल मामले 7- दिवालिया अधिनियम 1920 के अंतर्गत 50001/- रुपये से अधिक मूल्य के सिविल प्रकरण तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य अपीलें
10 (अ)	अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी सह विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, कटनी	दांडिक क्षेत्राधिकार :- 1- सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाण्डिक प्रकरण 2- सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी से उत्पन्न वे सभी दाण्डिक मामले, जमानत आवेदन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां जिनमें अन्य धाराओं के साथ साथ विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत धारार्ये अधिरोपित की गई हैं। 3- जुवेनाईल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड कटनी से सत्र न्यायाधीश कटनी को रेफर किये जाने वाले प्रकरणों की सुनवाई हेतु नामित बालक न्यायालय नोट :- उपरोक्तानुसार रेफर किये जाने वाले प्रकरणों में भारतीय न्याय संहिता के साथ विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य धारार्ये लगी होने की दशा में सम्बंधित विशेष न्यायालय ही बालक न्यायालय के रूप में मान्य होगी। 4- निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश के सुनवाई योग्य दाण्डिक मामलों हेतु नामित न्यायालय

(6)

10 (ब)	अष्टम जिला न्यायाधीश कटनी	सिविल क्षेत्राधिकार :- 1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर में तहसील कटनी, बरही, ढीमरखेड़ा, रीठी, बडवारा, बहोरीबंद से उत्पन्न होनेवाले एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण 3- आरक्षी केंद्र बरही एवं ढीमरखेड़ा के अंतर्गत होने वाली मोटर दुर्घटनाओं से सम्बंधित, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी क्लेम केस 4- माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर में प्रस्तुत होने वाले तथा जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य, आर्बीट्रेशन एवं काउंसिलियेशन अधिनियम 1996 के अंतर्गत निष्पादन एवं अन्य मामले 5- किराया नियंत्रण अथारिटी कटनी (मुड़वारा) की अपीलें 6- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग 10 के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य अन्य सभी प्रकरण।
11 (अ)	नवम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी सह महिलाओं के विरुद्ध अपराध सम्बंधी मामलों का विशेष न्यायालय (ओ0ए0डब्लू0केसेस)	दांडिक क्षेत्राधिकार :- 1- सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दांडिक प्रकरण 2- सम्पूर्ण कटनी जिले से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध अपराध सम्बंधी सत्र न्यायाधीश के सुनवाई योग्य प्रकरणों हेतु नामित विशेष न्यायालय (एस.सी.एस.टी.एक्ट, एन.डी.पी.एस.एक्ट, पी.सी.एक्ट, पॉक्सो एक्ट तथा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मामलों को छोड़कर)
11 (ब)	नवम जिला न्यायाधीश कटनी	सिविल क्षेत्राधिकार :- 1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- आरक्षी केंद्र जी0आर0पी0, बहोरीबंद एवं बाकल के अंतर्गत होने वाली मोटर दुर्घटनाओं से सम्बंधित, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी क्लेम प्रकरण
12 (अ)	दशम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी	दांडिक क्षेत्राधिकार :-
12 (ब)	दशम जिला न्यायाधीश कटनी	सिविल क्षेत्राधिकार :-

... लगातार पृष्ठ 7 पर

13 (अ)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	दांडिक क्षेत्राधिकार :- 1- सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाण्डिक प्रकरण
13 (ब)	प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल क्षेत्राधिकार :- 1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
14 (अ)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सह अनन्य विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट कटनी	दांडिक क्षेत्राधिकार :- 1- सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाण्डिक प्रकरण 2- सम्पूर्ण कटनी जिले से उद्भूत होने वाले वे सभी दाण्डिक मामले, जमानत आवेदन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां जिनमें अन्य धाराओं के साथ साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के अंतर्गत धारार्य अधिरोपित की गई है 3- सम्पूर्ण कटनी जिले से उद्भूत होने वाले वे सभी दाण्डिक मामले, जमानत आवेदन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां जिनमें अन्य धाराओं तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सम्बंधी धारार्य भी अधिरोपित की गई है
14 (ब)	प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल क्षेत्राधिकार :- 1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
15 (अ)	अपर सत्र न्यायाधीश श्रंखला न्यायालय विजयराघवगढ़	दांडिक क्षेत्राधिकार :- 1- सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाण्डिक प्रकरण 2- प्रत्येक माह की 21 से 30 तारीख के दौरान श्रंखला न्यायालय की बैठक तिथियों में उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाले, आरक्षी केंद्र विजयराघवगढ़ एवं कैमोर से उद्भूत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं धारा 483 के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश के सुनवाई योग्य समस्त जमानत आवेदन (एस.सी.एस.टी. एक्ट, एन.डी.पी.एस.एक्ट, पी.सी.एक्ट, पॉक्सो एक्ट, ओ०ए०डब्लू केसेस तथा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मामलों को छोड़कर)
15 (ब)	जिला न्यायाधीश श्रंखला न्यायालय, विजयराघवगढ़	सिविल क्षेत्राधिकार :- 1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण

(8)

		2- तहसील विजयराघवगढ़ से उद्भूत एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण 3- तहसील विजयराघवगढ़ में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपीलें 3- आरक्षी केंद्र विजयराघवगढ़ एवं कैमोर के अंतर्गत होने वाली मोटर दुर्घटनाओं से सम्बंधित, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी क्लेम प्रकरण 4- तहसील विजयराघवगढ़ उद्भूत कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 7 में वर्णित, जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य पारिवारिक विवाद के सभी सिविल मामले 5- तहसील विजयराघवगढ़ से उद्भूत तथा जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य वे सभी सिविल मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन आदेश में नहीं हो सका है
समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के न्यायालयों हेतु सिविल मामलों के श्रवण क्षेत्राधिकार का विवरण		
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह जनवरी एवं फरवरी में तहसील कटनी (मुडवारा), रीटी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले पांच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक के नियमित व्यवहार वाद, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण 3- तहसील कटनी (मुडवारा), रीटी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उत्पन्न होने वाले एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य वे सभी सिविल मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं हो सका है।
17	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह मार्च एवं अप्रैल में तहसील कटनी (मुडवारा), रीटी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले पांच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक के नियमित व्यवहार वाद, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण 3- तहसील कटनी (मुडवारा), रीटी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत सिविल जज के सुनवाई योग्य सभी मामले

... लगातार पृष्ठ 9 पर

18	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह नवम्बर एवं दिसम्बर में तहसील कटनी (मुडवारा), रीटी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले पांच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक के नियमित व्यवहार वाद, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण
19	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी	
20	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह मई एवं जून में तहसील कटनी (मुडवारा), रीटी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले पांच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक के नियमित व्यवहार वाद, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण 3- तहसील कटनी (मुडवारा), रीटी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले म0प्र0नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत सिविल जज के सुनवाई योग्य सिविल मामले
21	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी के न्यायालय के अतिरिक्त / प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह जुलाई एवं अगस्त में तहसील कटनी (मुडवारा), रीटी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले पांच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक के नियमित व्यवहार वाद, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण
22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह सितम्बर एवं अक्टूबर में तहसील कटनी (मुडवारा), रीटी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले पांच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक के नियमित व्यवहार वाद, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण 3- तहसील कटनी (मुडवारा), रीटी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले एक रुपये से लेकर 50,000 /- रुपये मूल्य तक दिवालिया अधिनियम 1920 के अंतर्गत सिविल जज के सुनवाई योग्य मामले
23	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी के न्यायालय के तृतीय	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण

	अतिरिक्त न्यायाधीश	
24	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय कटनी	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- राजस्व तहसील कटनी की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतों को सम्मिलित करते हुये जहां तक कटनी जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है, से उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित समस्त सिविल प्रकरण नोट- न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय कटनी के सुनवाई क्षेत्राधिकार में नगर निगम कटनी की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र तथा अन्य किसी तहसील के क्षेत्र सम्मिलित नहीं होंगे।
25	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, विजयराघवगढ़	1- जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
26	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, विजयराघवगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त / प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह जनवरी से जून तक तहसील विजयराघवगढ़ से उद्भूत होने वाले एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक के नियमित व्यवहार वाद तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण 3- तहसील विजयराघवगढ़ से उद्भूत होने वाले भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत सिविल जज के सुनवाई योग्य सभी मामले 4- तहसील विजयराघवगढ़ से उत्पन्न होने वाले एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य वे सभी सिविल मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं हो सका है।
27	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, विजयराघवगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह जुलाई से दिसम्बर तक तहसील विजयराघवगढ़ से उद्भूत होने वाले नियमित व्यवहार वाद, एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण
28	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ढीमरखेड़ा	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- तहसील ढीमरखेड़ा से उद्भूत होने वाले एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक नियमित व्यवहारवाद एवं उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण 3- तहसील ढीमरखेड़ा से उद्भूत होने वाले भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत सिविल जज के सुनवाई योग्य सभी मामले

		4- तहसील ढीमरखेड़ा से उत्पन्न होने वाले एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य वे सभी सिविल मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं हो सका है।
29	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बरही	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- तहसील बरही से उद्भूत होने वाले एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक नियमित व्यवहारवाद एवं उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण 3- तहसील बरही से उद्भूत होने वाले भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत सिविल जज के सुनवाई योग्य सभी मामले 4- तहसील बरही से उत्पन्न होने वाले एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य वे सभी सिविल मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं हो सका है।
30	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह जनवरी एवं फरवरी में तहसील कटनी (मुडवारा), रीटी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपये मूल्य तक व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न सभी निष्पादन एवं एम.जे.सी. प्रकरण
31	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह मार्च एवं अप्रैल में तहसील कटनी (मुडवारा), रीटी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपये मूल्य तक व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न सभी निष्पादन एवं एम.जे.सी. प्रकरण
32	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह मई, एवं जून में तहसील कटनी (मुडवारा), रीटी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपये मूल्य तक व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न सभी निष्पादन एवं एम.जे.सी. प्रकरण
33	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2- माह जुलाई एवं अगस्त में तहसील कटनी (मुडवारा), रीटी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपये मूल्य तक व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न सभी निष्पादन एवं एम.जे.सी. प्रकरण

34	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
		2- माह सितम्बर एवं अक्टूबर में तहसील कटनी (मुडवारा), रीठी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपये मूल्य तक व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न सभी निष्पादन एवं एम.जे.सी. प्रकरण
35	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी	
36	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी	1- प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
		2- माह नवम्बर एवं दिसम्बर में तहसील कटनी (मुडवारा), रीठी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपये मूल्य तक व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न सभी निष्पादन एवं एम.जे.सी. प्रकरण
37	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी	
38	नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी	
39	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड विजयराघवगढ़	

सामान्य नोट :-

- 1- यह कार्य विभाजन आदेश, जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
- 2- व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश-4 नियम-1 के अंतर्गत तथा मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम-37 के पालन में सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण अपने स्व-हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामलों को प्राप्त करने एवं उनकी रीडर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अपने न्यायालय में पदस्थ सिविल प्रस्तुतकारों को प्राधिकृत करेंगे।
- 3- न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले मामलों की जांच, परीक्षण, मूल्यांकन, न्याय शुल्क में छूट की जांच आदि सम्बंधित विभिन्न कार्यवाहियों की रीडर रिपोर्ट पेश करने हेतु मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम-37 की टिप्पणी-1 के अंतर्गत वर्णित कर्तव्यों के निष्पादन हेतु न्यायालय में पदस्थ सिविल प्रस्तुतकारों को प्राधिकृत किया जाता है।
- 4- न्यायालयों में पूर्व से लम्बित समस्त सिविल एवं आपराधिक मामले इस इस कार्य विभाजन आदेश से अप्रभावित रहेंगे साथ ही मान्. उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय म.प्र./ म.प्र. शासन द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली नई अधिसूचनाओं का पालन नये पेश होने वाले मामलों में किया जावेगा।

... मजाला/पृष्ठ 13 पर

5— सुनवाई के दौरान अदम पैरवी में खारिज किये गये किसी प्रकरण के पुनर्स्थापित होने की दशा में उक्त मूल प्रकरण की सुनवाई उसी न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा की जावेगी, जिनके आदेशानुसार वह प्रकरण पूर्व में खारिज किया गया था।

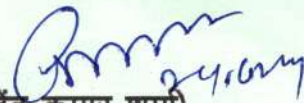
6— न्यायिक स्थापना कटनी में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले नये प्रकरणों में सुनवाई इस कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार करेंगे। न्यायालय में पेश हो चुके तथा लम्बित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में संशोधन के फलस्वरूप बीमा कम्पनियों / आरक्षी केंद्रों का नाम बदले जाने की स्थिति में भी सम्बंधित प्रकरण उसी न्यायालय में लम्बित माने जावेंगे। उनमें पृथक से मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

7— तहसील विजयराघवगढ़ में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समस्त न्यायालयों द्वारा उपापित किये जाने वाले सेशन ट्रायल मामले तथा उक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली दाण्डिक अपील एवं दाण्डिक पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय विजयराघवगढ़ द्वारा की जावेगी।

8— आरक्षी केंद्र विजयराघवगढ़ तथा आरक्षी केंद्र कैमोर से उद्भूत मामलों के अंतर्गत प्रत्येक माह की 21 से 30 तारीख के दौरान प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदनपत्र (सत्र न्यायाधीश के सुनवाई योग्य) सीधे अपर सत्र न्यायाधीश लिंक कोर्ट विजयराघवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होंगे। लिंक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने अथवा न्यायालय रिक्त रहने की दशा में ऐसे जमानत आवेदन, जिला मुख्यालय पर सत्र न्यायाधीश कटनी के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे। (जिला मुख्यालय पर कार्यरत विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई योग्य मामलों तथा अधिसूचित न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य मामलों के अंतर्गत पेश होने वाले आवेदनों को छोड़कर)

9— मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति वसूली सम्बंधी मामलों को प्रस्तुत करने हेतु आवेदक यदि चाहे तो मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 (2) के अंतर्गत विकल्प के रूप में दावेदार के निवास स्थान / अनावेदक के निवास स्थान / अनावेदक के कारोबार का स्थान / वाहन दुर्घटना का स्थान आदि में से किसी एक स्थान के सुनवाई क्षेत्राधिकार के आधार पर अपने क्लेम प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश कर सकता है।

10— माननीय उच्चतम न्यायालय/मान्.उच्च न्यायालय द्वारा पृथक से निर्देशित किये जाने की स्थिति को छोड़कर, सम्पूर्ण कटनी जिले से उद्भूत ऐसे सिविल एवं दांडिक मामले जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय/भारत सरकार/म0प्र0शासन विधि एवं विधार्थि कार्य विभाग की अधिसूचना द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी के श्रवण क्षेत्राधिकार के बाहर किसी अन्य न्यायालय को प्रदान किया गया है, सुनवाई हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी में ग्राह्य नहीं होंगे।


 (जितेंद्र कुमार शर्मा)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 कटनी (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक : 1594 / पांच-1-1/02

कटनी, दिनांक: 24.06.2025

कार्य विभाजन आदेश क्र 01/पांच-1-1/2002 दिनांक 24.06.25 की प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कटनी
3. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) कटनी
4. समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशगण कटनी / विजयराघवगढ़
5. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी
6. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी / बरही / ढीमरखेड़ा
7. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी / विजयराघवगढ़
8. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी
9. प्रशासनिक अधिकारी / उपप्रशासनिक अधिकारी / लेखापाल / सांख्यिकीय लिपिक /
जूनियर सिस्टम एनालिस्ट / केंद्रीय पंजियन क्लर्क
की ओर पालनार्थ प्रेषित।
10. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. पुलिस अधीक्षक कटनी की ओर समस्त आरक्षी केंद्रों को पालनार्थ संसूचित कराये जाने बाबत प्रेषित।
12. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, कटनी
13. अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, विजयराघवगढ़ / बरही / ढीमरखेड़ा की ओर समस्त अधिवक्ता गण को
सूचित कराये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)